राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-3 अंक : पंचम् वर्ष : 2007-2008 वि.सं. : 2064 बिक्री के लिये नहीं

दो शब्द

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों के हनन से सबंधित परिवादों का निस्तारण करने के साथ सरकारी विभागों, स्वंयसेवी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों के अध्यापकों एवं जिला विधिक सेवा अधिकरण के अधिकारियों के सहयोग से आम नागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने का भरपूर प्रयास कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले दो वर्षो के कार्यकाल में आयोग ने मानवाधिकार के प्रति साक्षरता, प्रचार–प्रसार, जागरुकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु लोकसेवकों एवं सभी जन–साधारण में संवेदनशीलता से काम करने को बढ़ावा मिला है।

इसके अलावा यू.जी.सी ने इस आयोग व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहल पर विश्वविद्यालयों में मानव अधिकारों के पाठ्यक्रम शुरु करने के साथ–साथ शिक्षाविदों के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्य आरंभ किए है। इसी प्रकार आयोग के प्रयासों से सोफिया कॉलेज में व टीचर्स के प्रशिक्षण के बाद विभिन्न स्कूलों द्वारा छात्रों में मानवीय मूल्यों की शिक्षा को बढ़ावा देकर मानव अधिकार के संरक्षण व सर्वधन की दिशा में भी अहम कदम उठाया है। इसके लिए सभी सबंधित अधिकारीगण, संस्थाऐं, मीडियाकर्मी, सहयोगी एवं पत्रकार बन्धु बधाई के साथ–साथ धन्यवाद के पात्र है। जनहित में प्रसारित यह अंक स्कूली बच्चों एवं युवाओं में मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने के लिए समर्पित है।

(जस्टिस एन.के. जैन)
अध्यक्ष

मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा (पूर्व मुख्य न्यायाधिपति, उच्चतम न्यायालय एवं पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग), प्रो. एम.सी. शर्मा (उपाध्यक्ष, यू.जी.सी.), न्यायमूर्ति एन.के. जैन (अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग) एवं न्यायमूर्ति वी.एस. दवे (पूर्व अध्यक्ष, राज्य विधि आयोग)।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने ली खबर

'एनजीओ है, तो उसमें सरकारी अफसर क्या कर रहे हैं?'

विशेष संवाददाता. जयपुर

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्वच्छ योजना में कार्यरत कुछ स्टाफ को एनजीओ कार्यकर्ता बताने पर राज्य मानवाधिकार आयोग सरकार पर खफा है। आयोग ने कहा है कि यदि स्वच्छ संस्था एनजीओ है, तो वहां सरकारी अफसर कैसे काम कर रहे हैं? ऐसे और कितने एनजीओ हैं, जिनमें सरकारी स्टाफ लगा रखा है। आयोग ने सरकार से नियमों सहित विस्तृत जवाब 2 अगस्त तक पेश करने को कहा है। आयोग का मानना है कि मामला सिविल प्रकृति का होते हुए भी मानवाधिकार हनन से जुड़ा है।

नियमानुसार एनजीओ में सरकारी अधिकारी-कर्मचारी काम नहीं कर सकते, जबकि इस संस्था में कुछ सरकारी अधिकारी-कर्मचारी नियमित वेतन पर काम कर रहे हैं और कुछ के साथ ऐसा नहीं है। उदयपुर में संयुक्त स्वच्छ कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष महिपाल कटारा की शिकायत पर आयोग ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और कार्मिक विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। कर्मचारी संगठन की शिकायत थी कि 41 कर्मचारियों को समेकित वेतन पर काम करना पड़ रहा है, जबकि उन्हें विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति दी गई थी। इस परियोजना में 6 अधिकारी अभी प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं और 7 कर्मचारी नियमित वेतन श्रृंखला में काम कर रहे हैं।

मानवाधिकारों के हनन को रोकने बाबत कुछ महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश

(माह अप्रेल 2007 से जून 2007 तक)

1– परिवाद संख्या– 06/17/3305 में मानसिक विमंदित गृह में हनुमान की मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना पर समाज कल्याण विभाग व अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह से ऐसे आवासी मंदबुद्वि बच्चों की समय– समय पर मेडिकल जांच कराने एवं समुचित ईलाज व्यवस्था सुव्यस्थित कराने हेतु कहा गया ।

2– परिवाद संख्या– 04/12/1515 में यह देखा गया कि विधि विज्ञाान प्रयोगशाला में रिक्त पदों के कारण एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आने में काफी समय लगता है और अन्वेषण में देरी होती है। इस पर आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोग शाला में रिक्त चल रहे 40 पदों को भरने के लिए कहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बताया कि इन पदों को भरने की कार्यवाही चल रही है। साथ ही, राज्य सरकार को भी इस सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु कहा।

3– परिवाद संख्या– 04/26/241 में डी.एल.एफ. (अम्बुजा) सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा हवा में प्रदूषण फैलाने के मामले में आयोग द्वारा दिनांक 6 अप्रेल 2007 को कराये गये निरीक्षण के उपरान्त सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, को हिदायत दी गई कि वे आइंदा भी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक यूनिट की मोनिटरिंग कराते रहें।

4– परिवाद संख्या– 07/17/283 में हच मोबाईल कम्पनी द्वारा बिना परमिशन के टॉवर लगाने व जेनरेटर द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने पर हच मोबाईल कम्पनी व नगर निगम से जवाब मांगा गया। आयोग के आदेश पर कम्पनी द्वारा जेनरेटर को हटा दिया गया। नगर निगम ने नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आश्वस्त किया।

5– परिवाद संख्या– 06/17/2469 में पति पत्नी के आपसी झगडों के बारे में परिवाद पेश हुआ जिसमे आयोग द्वारा जवाब चाहने पर पति पत्नी में समझौता हो जाने बाबत् अवगत कराया। जिस पर आयोग द्वारा अपेक्षा की गई कि पति–पत्नी आगे से राजीखुशी रहेंगे।

6– परिवाद संख्या– 06/32/1874 में आयोग के समक्ष यह शिकायत थी कि जो व्यक्ति आयोग में कोई शिकायत लेकर आता है, उसे ही पुलिस अधिकारियो द्वारा हैरान व परेशान किया जाता है। जिस पर आयोग द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वे किसी व्यक्ति विशेष का लाभ पहुचाने के लिए जांच में पक्षपात नहीं करें। साथ ही, महानिदेशक (पुलिस) को भी पत्र लिखा गया कि प्रायः यह देखा गया है कि जो व्यक्ति आयोग के समक्ष अपनी फरियाद लेकर आता है, उसे ही पुलिस द्वारा किसी न किसी तरह से प्रताडित किया जाता है। इस आदेश की पालना में महानिदेशक ने अपने अधीनस्थ पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी कर आयोग को अवगत कराया।

7– परिवाद संख्या– 07/17/1487 में शहर में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग द्वारा लिखा गया कि कल्याणकारी राज्य में नगर पालिकाओं एवं सम्बन्धित विभागों व नगर निगमों का दायित्व बनता है कि वह शहरों की सफाई व्यवस्था बनाये रखे, बारिश से पहले नाले का मुआयना कर वांछित कार्यवाही के साथ नालियो आदि से गंदगी हटाये, जिस से बारिश के समय पानी अवरूद्व न हो व दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलें।

8– परिवाद संख्या– 05/17/961 में सरकारी जमीन

पर अतिक्रमण के मामले में नगर निगम ने जवाब में बताया कि फाईल राज्य अन्वेषण ब्यूरों के पास होने के कारण वांछित कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस पर आयोग ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय 1987(2) डब्ल्यू.एल.एन. पृष्ठ– 948 से 962 के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना का उल्लेख करते हुए राज्य अन्वेषण ब्यूरों को लिखा कि मामले की पत्रावली नगर निगम को उपलब्ध कराई जाये व नगर निगम आयोग के आदेश दिनांक 5.4.2006 व 5.7.2006 की पालना में अतिक्रमण के सम्बन्ध में विधि सम्मत कार्यवाही करें। आयोग के महानिरीक्षक को भी जांच के आदेश दिए गये।

9– परिवाद संख्या– 06/17/1591 में गुर्जर की थडी, जयपुर के पास स्थित नाले के किनारे कचरा डालने की शिकायत थी । जवाब में नगर निगम ने बताया कि उक्त स्थान से कचरा हटा लिया गया है। इस पर आयोग ने नगर निगम व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त स्थान की समय–समय पर मोनिटरिंग करने व दोबारा कचरा न डालने के बारे में लिखा गया।

10– परिवाद संख्या– 05/17/2936 में विभिन्न स्थानों पर बिजली के खुले तारो एवं बक्सों की शिकायत पर कि नंगे तारों की वजह से जानवरों के साथ–साथ आदमी भी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने जवाब में बताया कि बिजली के खुले तारों व बक्सों को व्यवस्थित कर दिया गया है। आयोग ने निगम से अपेक्षा की कि जहां बिजली के नंगे तार अव्यस्थित रूप से फैले हुए है तथा ट्रांस्फारमर खतरनाक स्थिति में लगे हुए हैं, वहां पर हवा चलने पर बिजली के तारों से जनधन की हानि होने की संभावना है, अतः अपेक्षित कार्यवाही की जाये व इनकी मोनिटरिंग की जाये।

11– परिवाद संख्या– 05/17/3794 में यह शिकायत थी कि निजी मकानों में टेन्ट हाउस के मार्फत वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन करने से सडकों पर ट्रेफिक की व्यवस्था बिगड जाती है। आयोग ने इस मामले में अन्य प्रकरण संख्या– 03/13/373 में दिए गये आदेश का उल्लेख करते हुए लिखा गया कि जयपुर नगर निगम, यातायात विभाग व अन्य अधिकारी वैवाहिक कार्यकर्मो के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं के निराकरण के सम्बन्ध में उक्त नियमों के अधीन उचित कार्यवाही कर आमजन को होने वाली असुविधा की समस्या का निराकरण करेंगे व जयपुर नगर निगम (विवाह स्थल) उपविधियां 2005 की पालना समुचित रूप से करते रहेंगे।

12– परिवाद संख्या– 04/02/2205 व 06/11/3753 में मानव अधिकार आयोग के नाम से मिलते–जुलते नाम रखकर आमजन को गुमराह करने वाली फर्जी संस्थाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही के क्रम में अलवर की अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर, अलवर को निर्देशित किया गया।

विभिन्न शैक्षेणिक संस्थाओं/एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत की गई, जिससे मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर जागरूकता को बढावा मिला। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित हैः–

1– दिनांक 12-13 अप्रेल, 2007 को विद्याश्रम स्कूल में दिल्ली सीनीयर सिटीजन फोरम द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से ***मानवाधिकार जागरूकता विषय*** पर केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों के पाठ्यक्रम पर दो दिन का एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ केन्द्रीय डिफेन्स सर्विस के सदस्य सचिव जे.एन. शर्मा, कल्पेश याज्ञनिक, यू.एम. सिंह, एन.एच.आर.सी. के मुख्य समन्यक (प्रशिक्षक) माइकल वी. सिरमनी, विद्याश्रम के अध्यक्ष श्री विमल सुराणा, प्रिंसिपल श्री उपेन्द्र

कौशिक, श्री एन. मौरिस बाबू, आई.जी. मानवाधिकार आयोग व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया गया।

2– दिनांक 14 अप्रेल, 2007 को 'प्रयास' संस्था ने परित्यक्य महिलाओं और मानसिक रूप से विमंदित विकलांग बच्चों के पुनर्वास के सम्बन्ध में काम करने वाली राज्य के विभिन्न एन.जी.ओ. के साथ मिलकर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें माननीय अध्यक्ष ने भाग लिया।

3– दिनांक 26.5.2007 को एच.आई.वी. एड्स पर जन जागरूकता के लिए बनाई जा रही फिल्म के रिलीज के अवसर पर माननीय अध्यक्ष के साथ श्री राजाराम मील, डायरेक्टर श्री सुरेन्द्र योगी, डा. सर्वेशरण जोशी व कलाकार राकेश व दिव्या राणा व अन्य एन.जी.ओ. ने भाग लिया।

4– दिनांक 27.5.2007 को अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति, दिल्ली ने मानव अधिकार विषयों पर जयपुर में एक सेमिनार का आयोजन किया। जिसमें माननीय अध्यक्ष के साथ श्री खेमाराम मेघवाल, माननीय खनिज राज्यमंत्री, जस्टिस एन.एल. टिबरेवाल व जस्टिस वी.एस. दवे, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सी.बी.आई. के पूर्व निदेशक श्री जोगिन्दर सिंह, श्री सन्तोष कुमार अग्रवाल, समिति के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

5– दिनांक 12.6.2007 को रोटरी क्लब ने जयपुर शहर की 20 संस्थाओं व 'वर्ल्ड विजन' संस्था के साथ मिलकर रैली के इस कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष के साथ श्री बाबूलाल वर्मा, माननीय पंचायती राज व ग्रामीण विकास राज्यमंत्री व श्रम विभाग के श्री जीवराज सिंह ने भी भाग लिया।

6– दिनांक 29.6.2007 को जयपुर में थर्ड इन्टरनेशनल समर स्कूल फॉर जैन स्टेडीज पर आयोजित कार्यशाला में 31 विदेशियों व प्रोफेसर्स/पी.एच.डी. स्कोलर्स समर स्कूल के निदेशक डा. सुगनचन्द जैन, डा. के.सी. सोगानी के साथ आयोग के अध्यक्ष ने मानव अधिकार विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

7– दिनांक 30.6.2007 को नेत्रहीन व विकलांग कलाकारों के लिए समर्पित अनुराग संगीत संस्थान के वार्षिक उत्सव पर भाग लिया गया, जिसमें डा. के.एल. जैन, श्री आर. के. काला, डा. अजीत, समाजसेविका श्रीमती अरूणा जैन, रमा बजाज, श्री रमेश गंगवाल व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषय सामग्री का जनहित में प्रकाशन

आयोग द्वारा मानवाधिकार से सम्बन्धित विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम के तहत् प्रकाशित 13 बुकलेट्स को निम्नांकित संस्थाओं/व्यक्तियों कुछ जनहित में पुनः प्रकाशित करवाया गया।

1– अधिशाषी अधिकारी, नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड, नाथद्वारा
2– श्री एस.एस. कोठारी, अध्यक्ष, जिला विधिक सहायता समिति, जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द
3– श्री दिगम्बर जैन नसिया, दीवान उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
4– डा. पी.सी. लूनिया, ज्ञान विहार, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 31 मार्च, 2007 को 1052 प्रकरण शेष थे। नये परिवाद 1130, जिनमें नये 758, पुराने 253 व पुनः सुनवाई 203 के आये। कुल 1424 परिवादों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख 968 प्रकरण दिनांक 30.6.2007 को शेष रहे।

'दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएं'

विद्याश्रम स्कूल में 'मानवाधिकार जागरूकता' विषयक सेमिनार को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने संबोधित किया

नगर संवाददाता. जयपुर

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा है कि हर मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उसे मानवाधिकार हनन के मामलों में चुप नहीं रहना चाहिए। अब जरूरत है कि हर व्यक्ति न सिर्फ अपने अधिकारों को समझे, बल्कि दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए भी आगे आए।

विद्याश्रम स्कूल में मानवाधिकार जागरूकता पर आयोजित सेमिनार में दीप प्रज्वलित करते अतिथि।

वे गुरुवार को सिटीजनशिप डवलपमेंट सोसायटी की ओर से विद्याश्रम स्कूल में 'मानवाधिकार जागरूकता' विषय पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

इस मौके पर दैनिक भास्कर के समन्वय संपादक राजस्थान डॉ. रमेश अग्रवाल ने मीडिया और मानवाधिकार के सरोकारों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि मानवाधिकार व मीडिया एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। मानव अधिकारों के हनन के मामलों में मीडिया हमेशा अहम भूमिका निभाता रहा है।

सेमिनार में केंद्रीय डिफेंस सर्विस के सदस्य सचिव जे.एन. शर्मा व यू.एन. सिंह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण) माइकल वी. सिरमनी सहित कई अतिथियों ने विचार व्यक्त किए। विद्याश्रम स्कूल के प्रधानाचार्य यू.के. कौशिक ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय डिफेंस सर्विस के कई शिक्षक उपस्थित थे।

संस्था निजी और उसका संविधान सरकारी

राज्य मानवाधिकार आयोग चकित। संस्था पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी

विशेष संवाददाता. जयपुर

एक निजी संस्था ने मानवाधिकार संरक्षण कानून के उन सभी प्रावधानों को ज्यों का त्यों अपना लिया, जिसके तहत राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना हुई और उन्हें शक्तियां दी गई हैं। अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति नाम की यह संस्था ठीक उसी तरह काम कर रही है जिस तरह राज्य मानवाधिकार आयोग कर रहा है।

आयोग ने इस पर आपत्ति करते हुए समिति अध्यक्ष को नोटिस भेजकर चेताया है कि वे संस्था का पंजीयन प्रमाणपत्र दिखाएं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद समिति के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र सिंह भाटी ने इस्तीफा दे दिया है और आयोग से कहा है कि उसका संस्था से कोई संबंध नहीं है।

इससे पहले आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन और सदस्य पुखराज सीरवी की खंडपीठ ने कलेक्टर और पुलिस से संस्था की जांच कराई, तो पता चला कि संस्था का राजस्थान में पंजीयन ही नहीं है। समिति की अध्यक्ष चंद्रकला सैनी ने दिल्ली से रजिस्ट्रेशन करना तो बताया, लेकिन मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र पेश नहीं कर पाईं। आयोग ने अब दिल्ली के संस्था उप पंजीयक को भी नोटिस देकर पूछा है कि आयोग के बराबर शक्तियां रखने वाली किसी निजी संस्था का पंजीयन कैसे किया जा सकता है। आयोग ने उप पंजीयक से भी संस्था का विधान, सदस्यों की सूची और अन्य दस्तावेज मांगे हैं। इस मामले की सुनवाई अब 21 जून को होगी।

संस्था निजी, प्रक्रिया सरकारी

चंद्रकला सैनी ने पिछले दिनों प्रदेशाध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की थी। उसने इसमें पूरी सरकारी प्रक्रिया अपनाते हुए इन नियुक्तियों की सूचना राज्यपाल और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित कुछ जिला कलेक्टरों को भी भेजी थी। इसी तर्ज पर जिलाध्यक्षों ने भी नियुक्तियां उनकी प्रतिलिपियां राज्यपाल और मानवाधिकार आयोग को भेज दी थीं।

इस तरह की संस्थाओं का पंजीयन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होता है। इसके तहत पंजीकृत संस्थाएं धार्मिक, चेरिटेबिल, शिक्षण और सामाजिक उद्देश्यों के लिए कार्य करती हैं। ऐसी संस्थाएं न ऐसे किसी कानून को अपना संविधान नहीं बना सकती जिसके तहत सरकार किसी संस्था का गठन करती है। न ही ये संस्थाएं किसी सरकारी अधिकारी को दिशा-निर्देश दे सकती हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

-रघुनाथ प्रसाद तिवाड़ी, वरिष्ठ अधिवक्ता

कहीं भवन और कहीं स्टाफ की दरकार

जयपुर, 19 जून (का.सं.)

राज्य मानवाधिकार आयोग ने जयपुर शहर के तीन थानों में स्टाफ एवं भवन की जल्द व्यवस्था करने को कहा है।

आयोग ने अपने यहां पदस्थापित पुलिस महानिरीक्षक से जयपुर शहर के निरीक्षण से वंचित थानों का तुरन्त निरीक्षण करने को कहा है। साथ ही आयोग की ओर से शहर के माणक चौक, महिला थाना (उत्तर) व सुभाष चौक थानों में महिला डेस्क व स्टाफ का पर्याप्त बंदोबस्त करने के लिए भी कहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) ने आयोग के दल की निरीक्षण रिपोर्ट में बताई खामियों का जवाब देते हुए जानकारी दी कि सुभाष चौक थाने के भवन के लिए भूमि अवाप्त हो चुकी है, लेकिन भवन निर्माण बाकी है।

मानवाधिकार से फरियाद पर पुलिस की धमकी

राज्य मानवाधिकार आयोग को मिली दो शिकायत

डीजीपी से पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देने को कहा

शैलेन्द्र अग्रवाल
जयपुर, 16 मई

राज्य मानवाधिकार आयोग में परिवाद लाने पर दो फरियादियों को पुलिस की किसी मुकदमे में फंसाने की धमकी का शिकार होना पड़ा। आयोग ने मामला गम्भीर मानते हुए पुलिस महानिदेशक से सभी पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में निर्देश देने को कहा है।

आयोग के पास आए ऐसे दो मामलों में एक उदयपुर जिले के चिकित्सा अधिकारी का है, जबकि दूसरा राजधानी जयपुर के एक साड़ी विक्रेता का है। बताया जाता है कि उदयपुर वाले मामले में सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ प्रकरण से जुड़े पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मानवाधिकार आयोग का कहना है कि उसके ध्यान में ऐसे कई मामले आए हैं। ये ऐसे मामले हैं, जिनमें आयोग में शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों को पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया।

यहां तक कि फरियादियों को किसी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी जाती है। आयोग ने जयपुर के मामले की जानकारी तो पुलिस महानिदेशक तक भेज दी है। साथ ही पुलिस महानिदेशक से सभी पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में उचित दिशानिर्देश देने की हिदायत दी है। इसी मामले में जयपुर शहर पुलिस अधीक्षक (उत्तर) से परिवादी साड़ी विक्रेता से उसको धमकाने वाले पुलिस कर्मियों की शिनाख्त कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है। इस मामले में लिप्त बताए गए उप निरीक्षक दौलत राम को 25 जून को आयोग में बुलाया भी गया है।

केस–1

जयपुर के महादेव ने शिकायत की कि नौ मई 07 को लिंक रोड स्थित उनकी दुकान पर माणक चौक थाने के दो वर्दीधारी सिपाही आए और धमकी भरे अंदाज में कहा कि दौलत वाला मामला यहीं खत्म कर दो, नहीं तो अंजाम और भी खराब कर देंगे। साथ ही कहा कि उसे एक झूंठे मामले में फंसाया गया है।

केस–2

उदयपुर जिले के देवपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉ. सुरेश मण्डावरिया के परिवाद के अनुसार 17 फरवरी 06 को प्रातः करीब साढ़े दस बजे शराब के नशे में धुत्त स्थानीय थानाधिकारी श्याम सिंह ने उन्हें थाने में बंद करने की धमकी दी और कहा कि उसने कई डॉक्टरों को सीधा किया है। उच्चाधिकारियों को शिकायत करने पर कार्रवाई होने के बजाए उल्टे थानेदार ने ही उन्हें धमका दिया। आयोग के रिपोर्ट मांगने पर उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने उल्टा मण्डावरिया पर ही मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने में आनाकानी का आरोप लगा दिया। इसके प्रत्युत्तर में मण्डावरिया ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को इकतरफा बताते हुए श्याम सिंह पर और आरोप लगाए, 20 जनवरी 07 को थानाधिकारी श्याम सिंह ने मण्डावरिया के आरोपों को गलत बताया। आयोग ने मामला निस्तारित कर पुलिस अधीक्षक को जांच में पक्षपात नहीं करने की हिदायत दी, पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी।

मानवाधिकार आयोग का आदेश दरकिनार

जयपुर, 19 मई (कास.)

राज्य मानवाधिकार आयोग ने जयपुर स्थित मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह अधीक्षक के आयोग के आदेश को दरकिनार करने पर अब उसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आयुक्त के जरिए तलब किया है। आयोग ने मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह की एक बालिका की मौत के मामले में वस्तुस्थिति जानने के लिए इस गृह की अधीक्षक को शुक्रवार को बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुई। आयोग ने उसके आदेश की पालना नहीं होने की जानकारी देने के लिए मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह की अधीक्षक को अब 20 जून को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आयुक्त के जरिए तलब किया है। आयोग मौत के इस मामले में यह जानना चाहता है कि आखिर उस बालिका की मौत किस बीमारी से हुई, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसकी कौनसी जांच हुई और उसे क्या उपचार दिया गया?

मानवाधिकार आयोग की पहल पर छात्र को मदद

जयपुर, 18 मई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक छात्र को आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई है।

जैसलमेर के रामदेवरा के गांव माया के डूंगरराम मेघवाल ने आयोग को अपनी माली हालत के बारे में खत लिखा था। जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष के छात्र डूंगरराम ने पत्र में आयोग से पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दिलाने की गुहार की थी।

आयोग के सदस्य पुखराज सीरवी ने प्रार्थना पत्र को जांच के लिए जैसलमेर जिला कलक्टर को भेजा। जिला कलेक्टर ने जांच में छात्र की पीड़ा को सही बताया। अब जिला कलेक्टर ने अग्रिम पढ़ाई के लिए डूंगरराम को छात्रवृत्ति मुहैया करा दी। वहीं आयोग की पहल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव को 3190 रुपए भिजवाए।

पुलिस थानों के नवीनीकरण के आदेश जारी

मानवाधिकार आयोग ने दिया फैसला, कुछ थानों की होगी कायापलट

जयपुर, 19 जून (कासं)। शहर के उत्तरी क्षेत्र में कुछ थानों की जांच में खामियां पाई जाने पर उन्हें दूर करने के मानवाधिकार आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार कुछ थानों की शिकायत मानवाधिकार आयोग में बार-बार आ रही थी, इन शिकायतों को ध्यान में रखकर जब आयोग के दल ने थानों का निरीक्षण किया तो उनमें से सुभाष चौक, माणक चौक व महिला उत्तर थाना में कमियां पाई गईं जिसे ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आवश्यक बोर्ड लगाने के बाद अब इन पर कार्यवाही की जा रही है। जल्द ही इनमें स्टाफ की नियुक्ति या भवन निर्माण जैसी खामियों को दूर कर दिया जाएगा।

क्या पाई गई कमियां

- पुलिस थाना सुभाष चौक का भवन अत्यंत छोटा था, जिसके कारण सामान बाहर पड़ा रहता था।
- थानों में महिला डेस्क नहीं थी।
- स्टाफ की कमी।

जारी रहेगा निरीक्षण कार्य

जिन पुलिस थानों का निरीक्षण कार्य किया जाना शेष रहा है, उन्हें शीघ्र ही आयोग के सहायक पंजीयक के साथ निरीक्षण करके पूरा किया जाएगा।

30 pvt schools to teach human rights

HT Correspondent
Ajmer, June 16

HUMAN RIGHTS will be taught initially in about 30 private schools in Rajasthan from the next session. More schools are likely to take it up in due course.

Presently running in 11 states, the programme called Human Rights Education is an endeavour of Madurai-based Institute of Human Rights Education (IHRE) in association with the NGO People's Watch. The programme was launched in Rajasthan as a pilot project on November 18, 2006 by the Sophia College, Ajmer as the state partner.

State coordinator of the programme for Rajasthan Archana Sharma informed that after the launch, they held the first training programme in February this year with participation of 17 schools of different districts of the state with 26 teachers, who are permanent and not close to the age of retirement. She claimed that this programme was a huge success, which motivated the participants to introduce the programme as part of school curriculum from the next academic session.

In due course, another 14 schools have been identified for the second round of the five-day training programme to be started from June 17 with an expected participation of 25 teachers. After sufficient rounds of training, at least these 30 schools will start teaching Human Rights from class 6th, as the planners feel students should be sensitized about the subject at a tender age, Sharma added. Course modules have been developed considering the state of human rights in the state.

Principal of the Sophia College, Sister Serena, who is taking a lead in implementation of the programme said that they have been entrusted with the task of training teachers to teach this sensitive subject and they are happy if the government also comes forward to include it in the curriculum of the government schools. She added that Human Rights situation is pathetic in most countries.

मानवाधिकार आयोग को शहर की चिंता

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 17 जून

राज्य मानवाधिकार आयोग ने राजधानी के हालात पर चिंता जताई है। आयोग ने जयपुर नगर निगम से सचिवालय और मॉल्स जैसे स्थलों के आसपास मूत्रालय बनाने, दुर्घटनाओं में कमी के लिए सड़कों को तुरन्त दुरुस्त करने, खुले हुए मेन होल को बारिश आने से पहले ढकने और सफाई व्यवस्था में आम नागरिकों का सहयोग लेने को कहा है।

आयोग ने जयपुर नगर निगम को राजधानी के हालात में सुधार के लिए दिशानिर्देश देते हुए 60 दिन में व्यवस्था सुधारकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने स्थानीय निकायों को याद दिलाया है कि शहर की सफाई व्यवस्था और आम नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। वे संवेदनशीलता से कार्य करते हुए नागरिकों के मानव अधिकारों के हनन को रोकने का प्रयास करें। आयोग ने आम नागरिकों का आह्वान किया कि वे सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में स्थानीय निकायों का सहयोग करें, क्योंकि सिर्फ कानून बनने से किसी कार्य में सफलता हासिल करना संभव नहीं है।

आयोग ने जयपुर नगर निगम से कहा है

- विभिन्न मॉल्स, सचिवालय, एजी ऑफिस, अमर जवान ज्योति व एसएमएस स्टेडियम के आसपास शौचालय/मूत्रालय की व्यवस्था हो।
- पानी और टेलीफोन लाईनों के सड़कों की खुदाई करते समय सभी विभाग समन्वय रखें, जिससे बार-बार सड़क को तोड़ना नहीं पड़े और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
- बारिश आने से पहले मेनहोल ढक्कन सुनिश्चित कर लिया जाए, जिससे बारिश के दौरान हादसों में कमी आ सके।
- शहर की सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए, उसकी समुचित देखरेख हो।

आवासीय क्षेत्र का उपयोग बदलने पर जवाब मांगा

जयपुर शहर के आवासीय इलाकों में बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों से सम्बन्धित एक परिवाद में आयोग को शिकायत मिली है कि मानसरोवर के जोन 41 में एक बड़ी कम्पनी अपनी व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने जा रही है, जिससे ट्रेफिक और पार्किंग समस्या बढ़ जाएगी। इस परिवाद के आधार पर आयोग ने आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण व जयपुर नगर निगम से जवाब मांगा है।

आठवीं तक के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि का मामला

मानवाधिकार आयोग को भी तरस आया

जयपुर, 19 जून (का.सं.)

अनुसूचित जाति-जनजाति के छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अब भी 15 से 20 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलने की जानकारी पाकर राज्य मानवाधिकार आयोग चौंक गया। आयोग ने वर्षों पहले निर्धारित इस राशि को नाकाफी बताते हुए इसे बढ़ाने को कहा है। आयोग ने छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने को छात्र-छात्राओं के शिक्षा एवं उनके मानव अधिकारों का हनन माना है। साथ ही राज्य सरकार को छात्रवृत्ति की राशि में समय-समय पर बढ़ोतरी करने पर विचार करने की सलाह दी है। आयोग की ओर से प्रमुख शिक्षा सचिव व प्रारम्भिक शिक्षा आयुक्त को इस आदेश की प्रति भेजी जाएगी।

20 नवम्बर, 06 को प्रकाशित समाचार

शिक्षा विभाग ने बताया

उदयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) ने इस मामले में आयोग को बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को10 माह तक छात्रों को 15 रुपए प्रतिमाह व छात्राओं को 20 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति देती है। लेकिन पूरा बजट नहीं मिलने के कारण 10 माह के बजाए 3-4 माह की छात्रवृत्ति का ही भुगतान हो पाता है।

आयोग ने कक्षा 8 तक के छात्रों के मामले में कहा...

राज्य सरकार देखे कि क्या विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त है?

आयोग को लगता है कि वर्तमान में छात्रवृत्ति की यह राशि नगण्य है।

प्रारम्भिक शिक्षा आयुक्त वित्तीय वर्ष आरम्भ होते ही राशि का आवंटन कराने के लिए यह सुनिश्चित करे कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रों की संख्या व राशि की सूचना निर्धारित समय सीमा में एकत्र हो जाए।

राशि आवंटन में देरी होने की स्थिति में छात्रों की संख्या बढ़ने पर प्रारम्भिक शिक्षा आयुक्त अतिरिक्त राशि की व्यवस्था के लिए प्रयास करें।

छात्रवृत्ति अटकने पर शिकायत

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लोहागढ़ (उदयपुर) के आठवीं कक्षा के छात्र गणेश कुमार व अन्य ने राज्य मानव अधिकार आयोग को परिवाद भेजकर शिकायत की कि अनुसूचित जाति/ जनजाति में होने के बावजूद 2002-03 से उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा है। इन छात्रों का कहना था कि छात्रवृत्ति में देरी के कारण उनका भविष्य संकट में है।

पत्रिका ने उठाया था मामला

राजस्थान पत्रिका ने 20 नवम्बर 06 को '1 दिन के 41 पैसे' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर कहा था कि कक्षा 6 से 10 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पिछले 17 साल से नहीं बढ़ी है, जबकि इस दौरान मंत्री-विधायक एवं लाभ के पदों पर आसीन राजनेताओं के वेतन में कई बार बढ़ोतरी हुई। छात्रवृत्ति की राशि वर्तमान में विद्यार्थियों के स्टेशनरी खर्च की भी पूर्ति नहीं कर पाती।

आयोग के महानिरीक्षक, पुलिस ने जोधपुर व उदयपुर शहर की जेलों का निरीक्षण किया। उन्होंने संवेदनशीलता से काम करने की हिदायत दी। इसके अलावा जो रिपोर्ट दी, वो आयोग ने राज्य सरकार को भेज दी व आवश्यक सुधार करने की अनुशंषा भी की गई है।

लाइन शिफ्टिंग चार्जेज लगेंगे

■ मानवाधिकार आयोग ने दिया फैसला

■ अपील पेश करने की है इजाजत

जयपुर, 26 जून (कासं)। शहर में किसी भी घर के ऊपर से किसी भी तरह की विद्युत या टेलीफोन लाइन को शिफ्ट करने के लिए नियमों के अनुसार कुछ राशि जमा करानी होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शिफ्टिंग चार्ज को दिए बगैर ही लाइन हटाना चाहते हैं। ऐसे मामलों में मानवाधिकार आयोग ने शिफ्टिंग चार्ज भरने व विद्युत वितरण निगम से लाइन हटाने का आदेश पारित किया है।

सूत्रों के अनुसार मानवाधिकार आयोग में पेश किए गए परिवाद में मिथिला विहार के एक निवासी ने यह शिकायत पेश की थी कि प्रार्थीया के घर के ऊपर से विद्युत कनेक्शन की लाइन बिना मौका मुआयना के जा रही है।

नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने व 800 रुपए का मांगपत्र भरने के बावजूद भी उन्हें कनेक्शन तो दे दिया गया लेकिन पहले से ही लाइन गुजरने के कारण नई लाइन नहीं डल पा रही। प्रार्थीया ने शिफ्टिंग चार्ज की राशि 1403 रुपए ना देकर खाली 800 रुपए नए कनेक्शन के लिए दे दिए, इसीलिए विद्युत वितरण निगम ने भी न तो लाइन हटाई व न ही नई लाइन डाली।

क्या हुआ फैसला

मानवाधिकार आयोग में वाद पेश करने पर [illegible] एन.के. जैन ने फैसला दिया कि प्रार्थिया शिफ्टिंग चार्ज भी [illegible] व विद्युत वितरण निगम वहां से पुरानी लाइन शिफ्ट करके न[illegible] लाइन डाले। यदि प्रार्थीया को किसी तरह की शिकायत हो तो [illegible] वह अपील पेश कर सकती है।

कैंसर निदान व उपचार संगोष्ठी आज

राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज की ओर से शनिवार को कैंसर के निदान व उपचार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन विवि के गोल्डन जुबली समारोह के तहत किया जा रहा है। आयोजन सचिव डॉ. पी.के. गोयल ने बताया कि सुबह साढ़े नौ बजे विवि कुलपति डॉ. एन.के. जैन संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे तथा अध्यक्षता मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र कुमार जैन करेंगे।

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण-** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव-** श्री गिरीराज सिंह, महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227565, 5104212.

Book Post